जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ. नोट

विषयः पालड़ीमीणा योजना में निकाली गयी लॉटरी निरस्त कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पालड़ीमीणा योजना में खड्डा बस्ती के 109 परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु दिनांक 27.04.15 को निकाली गयी लॉटरी में वर्णित भूखण्डधारियों को श्रीमान आयुक्त महोदय की स्वीकृति उपरान्त निरस्त किया जाकर अन्यत्र भूखण्ड आवंटन किये जा चुके हैं। आयुक्त महोदय द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

अतः पालड़ीमीणा योजना में दिनांक 27.04.15 को निकाली गयी लॉटरी निरस्त कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

उपायुक्त (जोन–10)
जविप्रा, जयपुर।

सिस्टम एनालिस्ट
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा / उपा / जोन–10 / 2017 / डी–3504
दिनांकः 2/11/17

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

273 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन न. 7101/2011 में दिनांक 20.02.2015 एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 6315/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.16 की पालना में खड्डा बस्ती(साकेत कालोनी) के प्रभावित परिवारों की नगर निगम, जयपुर से प्राप्त सूची अनुसार बीएसयूपी परियोजना जयसिंहपुराखोर में निर्मित फ्लैट तथा जविप्रा आवासीय योजना पालड़ीमीणा में भूखण्डों को खड्डा बस्ती में बसे लोगों के प्रार्थना पत्र के आधार पर फ्लैट/भूखण्डों का आवंटन किया जाना है। नगर निगम से प्राप्त पत्रावलियों अनुसार बीएसयूपी परियोजना जयसिंहपुराखोर में निर्मित फ्लैट आवंटन हेतु दिनांक 12.09.2017 को लॉटरी निकाली जा चुकी है।

1. नगर निगम, जयपुर से प्राप्त सर्वे सूची में संयुक्त रूप से निवास कर रही एक से अधिक परिवार इकाई अंकित है। आवेदन पत्रावली प्राप्त हुई है परन्तु कुछ परिवार इकाईयों ने आवेदन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है परन्तु सर्वे सूची में नाम दर्ज ऐसे परिवार इकाई को लॉटरी में शामिल कर उसका आवास आरक्षित किया जाना उचित होगा। ताकि वही कार्य दुबारा ना किया जावे। आवेदन प्राप्त नहीं परिवार को लॉटरी द्वारा आवास आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। — Approved
2. संयुक्त परिवार की अलग परिवार इकाई को एक ही स्थान पर ग्रुप में लॉटरी से आवास आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। — Approved
3. पूर्व में पालड़ीमीणा योजना में दिनांक 27.04.15 को 109 परिवारों की निकाली गयी लॉटरी एवं आवंटन निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। — Approved
4. पूर्व में पालड़ीमीणा योजना की आरक्षित दर 2900/—रू. प्र.व.मी. के अनुसार आवंटन पत्र जारी किये गये थे परन्तु पूर्व में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवंटन पत्र नहीं लिया गया था। जबकि पालड़ीमीणा योजना की वर्तमान आरक्षित दर 6000/— रू. प्रतिवर्गमीटर दिनांक 17.09.2015 को निर्धारित है। अतः यह भी निर्णय लिया जाना है कि आवंटन पत्र किस आरक्षित दर के आधार पर जारी किये जावें।

274 उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 4 के संबंध में निर्णयार्थ एवं लॉटरी निकाले जाने की स्वीकृति हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

13/9/17

275 DC-सं7

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन – 10
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

12/9/17

276 अतिरिक्त आयुक्त–पुनर्वास महोदय

अनुमोदनार्थ
13/9/17

277 JD/F 56

1, 2 & 3 approved

AC(R)/F561 13/9/2017

DC-10/F/119 13/9/17

DC/F 3262 13.9.17